बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–अन्त्योदय–01/2008– 3808 खाद्य, पटना/दिनांक– 22-09-2020

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

विषय :– दिव्यांगजनों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 1165 दिनांक 31.08.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 1421 (A) दिनांक 20.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आलोक में दिव्यांगजनों को अन्त्योदय योजना का लाभ देने हेतु राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। साथ ही, विभागीय पत्रांक 3452 दिनांक 24.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नये राशन कार्ड निर्गमन के क्रम में चिन्हित करने हेतु सॉफ्टवेयर में Disable श्रेणी को भी सम्मिलित करने हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:\YEAR - 2020\SEC - on (SEN)\Rajesh.doc

1509
400

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–विविध–32/2011– 3452 खाद्य, पटना/दिनांक– 24-08-2020

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नये राशन कार्ड निर्गमन हेतु सॉफ्टवेयर में Transgender एवं Disable श्रेणी को सम्मिलित करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–प्र06–मुकदमा–06/2020–2880 दिनांक 03.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प सं0–1239 दिनांक 09.03.2018 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय (Transgender) को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में किन्नर समुदाय के लोगों को पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में राशन कार्ड निर्गत करने हेतु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर में Transgender की श्रेणी को सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों में दिव्यांगों को चिन्हित/पहचान करने के उद्देश्य से उक्त सॉफ्टवेयर में दिव्यांग (Disable) श्रेणी को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उक्त का प्रावधान सॉफ्टवेयर में करने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित किन्नर एवं दिव्यांग श्रेणी के लाभुकों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सकेगी।

अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर में Transgender एवं Disable श्रेणी को सम्मिलित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र06–विविध–32/2011– 3452 खाद्य, पटना/दिनांक– 24-08-2020

प्रतिलिपि– अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक—प्र07, ज0वि0प्र0(मानवाधिकार)—18 / 2019 1421(A) / खाद्य,पटना / दिनांक— 20.03.2020

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :— **दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दिये जाने वाला निर्धारित मांपदण्डों के संबंध में**

प्रसंगः— **राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना के पत्रांक—140 दिनांक—17.01.2020 एवं उपभोक्त मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्रांक—6(1) / 2017—पी0डी0—III**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आलोक में दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना का लाभ देने हेतु राशन कार्ड निर्गत करने कि कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः— यथोक्त ।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक— प्र07, ज0वि0प्र0(मानवाधिकार)—18 / 2019 1421(A) / खाद्य,पटना / दिनांक— 20.03.2020
प्रतिलिपिः— राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यलय, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।